16.5.XVIII आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28.5.XVIII को पेश हो।

25.5.XVIII पत्रावली केस-लोचे वाला में की गयी। पक्षकारान उप. नहीं। जिससे पक्षकारान के मध्य राफीनामा होना नहीं पाया जाता। अतः पत्रावली पूर्ववत। वास्ते बहस प्रारूप दिं 28.5.XVIII को पेश हो।

28.5.18. आज पीठासीन अधिकारी राजस्व अभियान पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11.6.18 को पेश हो।

11.06.XVIII अधिवक्तागण उप स्थित प्रार्थपत्र हेतु समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रारूप दिं 25.6.XVIII को पेश हो।

25.6.XVIII वादी अधि. उप. नहीं। प्रतिवादी अधि. उप. वादी अधि. को देख-2 कर मिलकर आवाजें लगाया गया पर भी उप. नहीं। सभी हित में तय कर्मी को अधि. के स्थल पर पाया गया वह भी वादी अधि. उप. नहीं। इस प्रकार न तो वादी अधि. उप. व न ही इनके ओर से पैरवी उपस्थित। अतः पत्रावली सादी खारिज। अदम पैरवी में नहीं बाद की पाती है। पत्रावली वापस। वादिका के ऊपर से कम होकर निगम की सूचि में शामिल हो।

(श्रीमती रीना कोष्टा)